कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- slqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

क्र. 883/192/आउशि /गु.प्र./2025 नवा रायपुर, दिनांक : 18/09/2025

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आबंटित किये जाने वाले जेनेरिक इलेक्टिव (GE) के संबंध में।

संदर्भः– प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, कांकेर का पत्र क्रमांक 268/स्था/2025 दिनांक 08.09.2025

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि

1. इस कार्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अनेक महाविद्यालयों में हिन्दी, अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग में पद स्वीकृत है, जिस पर सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता कार्यरत है, परन्तु उन महाविद्यालयों में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन का विषय/कोर्स संचालित नहीं है, अर्थात् विश्वविद्यालयों से प्राप्त सम्बद्धता में उक्त विषय सम्मिलित नहीं है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का चयन किया जाना अनिवार्य है। तृतीय सेमेस्टर से षष्टम सेमेस्टर तक विद्यार्थी इच्छानुसार जेनेरिक इलेक्टिव अथवा डिसीप्लीन स्पेसीफिक इलेक्टिव का चयन कर सकता है।
3. जिन महाविद्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी विभाग में पद स्वीकृत है, वहाँ विद्यार्थियों के लिए हिन्दी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य के जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का अध्यापन कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
4. विदित है कि प्रदेश के समस्त स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालयों एवं कुछ अन्य महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग में पद स्वीकृत है तथा वर्तमान सत्र में सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता कार्यरत है तो वर्तमान सत्र में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं के लिए कम्प्यूटर एप्लीकेशन का जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का अध्यापन कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
5. उपरोक्तानुसार महाविद्यालयों में संचालित किये जाने वाले समस्त जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स की सूचना अनिवार्यतः विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ताकि उक्त कोर्सेस का परीक्षा संचालन विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकें।
6. संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, सम्बद्ध महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 884/192/आउशि /गु.प्र./2025 नवा रायपुर, दिनांक : 18/09/2025

प्रतिलिपिः–

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन को सूचनार्थ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)